उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम

dk;ky; mi Jek;Dr] cjyh {k=]
188&flfoy ykbUl] cjyh
दूरभाष सं0: 0581–2427265

Hkou ,o vU; lfUuek.k de dkj ¼fu;ktu ,o lok& krl fofu;eu vf/kfu;e] 1996 ds vrxr½

vf/kfu;e o fu;ekoyh

भारत सरकार द्वारा '' भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 में पारित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासकीय अधिसूचना संख्या 143/36–2–2009–251 (एस एम)–95 दिनॉक 4.2.2009 द्वारा नियमावली भी अधिसूचित की जा चुकी है। उसको प्रभावी करने के लिए की जा रही कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है।

mnns ;

उक्त अधिनियम को भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यो में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित किया गया है। :–

1. संबंधित प्रतिष्ठानों का पंजीयन
2. कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन
3. निर्माण एजेन्सी / ठेकेदार से उपकर की वसूली
4. उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण भवन कल्याण बोर्ड का गाठन तथा
5. उक्त बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन

vkorh vf/k'Bku

अधिनियम , 1996 की धारा 2 (क) के अनुसार भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का तात्पर्य भवनों मार्गो, सड़कों, सिंचाई, जल, निकास, तटबंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संकर्म, विद्युत लाईनों, बॉधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुलों, सेतुओं, जल सेतुओं, पाईप लाईनों, मीनारों, शीतलन, मीनारों (टावरों) इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। केवल निजी रिहायशी भवन जिसकी निर्माण लागत 10 लाख से कम है, आवर्त नहीं होगा।

vf/k'Bkuksa dk iath;u

¼d½ iath;u vf/kdkjh

उक्त अधिनियम के सभी उपबंध प्रदेष में पूर्णरूप से दिनॉक 4.2.2009 से लागू है। अधिनियम की धारा– 7 नियमावली के नियम – 23(1) के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या 1377/36–2–99–251 (एस एम) /95 दिनॉक 13.9.1999 द्वारा अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी नियुक्त है।

/kkjk&7

(1) Every employer shall-

(a) In Relation to an establishment to which this Act applies on its commencement, within a period of sixty days from such commencement; and

(b) In relation to any other establishment to which this Act may be applicable at any time after such commencement within a period of sixty days from the date on which this Act becomes applicable to such establishment, make an application to the registering officer for the registration of such establishment;

अधिनियम वर्ष 1996 में शब्द ''अधिष्ठान'' धारा 2 (जे) में तथा शब्द''नियोजक'' धारा 2 (आई) में परिभाषित किये गये है, जो कि सुविधा की दृष्टि से निम्नवत उद्‌घ्रत है :–

2(j) ''establishment'' means any establishment belonging to or under the control of, Government, any body corporate or firm, an individual or association or other body of individuals which or who employs building workers in any building or other construction work; and includes an establishment belonging to a contractor, but does not include an indivisual who employs such workers in any building or construction work in relation to his own residence the total cost of such construction not being more than rupees ten lakhs;

2(i) ''employer'' in relation to an establishment means the owner thereof, and includes

(i) in relation to a building or other construction work carried on by or under the authority of any department of the government directly without any contractor, the authority specified in this behalf, or where no authority is specified, the head of the department;

(ii) in relation to a building or other construction work carried on by or on behalf of a lacal authority or other establishment, directly without any contractor, the chief excutive officer of that authority or establishment;

(iii) in relation to a building or other construction work carried on by or through a contractor, or by the employment of building workers supplied by a contractor; the contractor

स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत निजी/सार्वजनिक/स्थानीय निकाय/संस्थान, ठेकेदार, बिल्डर, सहकारी समिति, गृह निर्माण अथवा निर्माण क्षेत्र में संलग्न कोई भी एजेन्सी, जो किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में वर्ष के किसी भी दिन 10 या उससे अधिक निर्माण

कर्मकार नियोजित करते हो, द्वारा श्रम विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना पंजीयन 60 दिन की अवधि में करवाया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत राज्य सरकार या उसके नियन्त्रणाधीन कोई विभाग/कार्यदायी संस्था यदि उक्त प्रकार का कार्य सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से सुनिश्चित करवा रहे है, तो स्पष्टतया पंजीयन आवश्यक होगा।

¼x½ ith;u “kYd

नियम 24 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए संदेय फीस निम्नवत होगी, यदि किसी एक दिन में भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या व दर निम्नवत है :-

Jfedk dh l[;k	ith;u nj
1. 100 तक है	1000-00 रूपये
2. 100 से अधिक किन्तु 500 से कम	5000-00
3. 500 से अधिक है	10000-00 रूपये

ith;u “kYd fuEu y[kk “kh’kd e Vtjh pkyku }kjk tek fd;k tk;xkA

0230 – श्रम तथा रोजगार

800 – अन्य प्राप्तियॉ

10 – उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के अंतर्गत

01 – पंजीयन से प्राप्तियॉ

¼?k½ ith;u u dju ij n.M

किसी अधिष्ठान के लिए नियोक्ता द्वारा पंजीयन न कराया जाना उक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उल्लंघन किये जाने पर मुख्य निरीक्षक द्वारा 1000-00 रूपये के आर्थिक दण्ड से तथा उल्लंघन निरन्तरित होने की स्थिति में 100-00 रूपये प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि के लिए दण्ड अवधारित किया जा सकता है।

कोई भी सेवायोजक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य शुरू होने के 30 दिन पूर्व धारा 46 के अंतर्गत सूचना नहीं देगा तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत मुख्य दण्डाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया जायेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अधिकतम तीन माह की सजा या अधिकतम दो हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

¼p½ vf/kfu;e d iHkkoh iorlu gr ?kkf’kr fujh{kd

उ0प्र0 सरकार के अधिसूचना संख्या 1379/36-2-99-251 (एम एम) /95 दिनॉक 13.9.1999 द्वारा अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु घोषित निरीक्षक निम्नवत है।

Ø0	vf/kdkjh	vf/kdkfjrk
1.	श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर के कार्यालय में तैनात समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2.	कारखाना निदेशक, उ0प्र0, कानपुर	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
3.	क्षेत्रों में तैनात सभी अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त	अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
4.	क्षेत्रों में तैनात सभी कारखाना उप निदेशक/सहायक निदेशक	अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
5.	क्षेत्रों में तैनात सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के	अपनी–अपनी अधिकारिता भीतर

¼N½ fuek.k Jfedk dk ith;u

पंजीयन के लिए ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगें, जो शासन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सड़क, पुल पुलिया, नहर भवन आदि के निर्माण कार्य में मजदूरी करते है। निजी एवं सहकारिता क्षेत्र के सभी बिल्डर, कालोनाईजर व ऐसे निर्माण एजेनसियों में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए पात्र होंगे। उक्त श्रमिकों का पंजीयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 302/36–2–2010–10/2010 लखनऊ दिनॉक 26 मार्च 2010 के द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जल निगम, जल संस्थान के जिला स्तर पर तैनात समस्त अवर/सहायक अभियन्ता, नगर निगम के समस्त अपर/उप नगर आयुक्त एवं उनके नियंत्रणाधीन अभियंत्रण विभाग के अवर/सहायक अभियंता, नगर पालिका/टाउन एरिया के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरण के समस्त अवर/सहायक अभियंता, आवास विकास परिषद के समस्त अवर /सहायक अभियंता, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता सीमाओं के अंतर्गत प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये है।

¼t½ fuek.k Jfedk d ith;u gr ikfo/kku

निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए संबंधित श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ उसने विगत 12 माह में कम से कम 90 दिन तक ऐसे सन्निर्माण में कार्य किया हो।

¼>½ m0i0 Hkou ,o vU; lfUuek.k dY;k.k dk’k dk xBu rFkk dedkjk dk lgk;rk vkj fgrykHk

कोष पर स्वामित्व और प्रशासन बोर्ड का होगा। उक्त अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कर्मकारों को सहायता व हितलाभ का प्राविधान है। सहायता और हित लाभ के रूप में देय धन को, जो नीचे दी गयी सारिणी में प्रमाणित है यथा स्थिति लाभार्थी के या अन्य प्रापक के ऐसे खाते में जमा किया जायेगा, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला केन्द्रीय बैंक में रखा गया हो।

लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक रूपया 50—00 वार्षिक का अंशदान किया जायेगा, 50 रू0 शुल्क जमा करते हुए पंजीकृत होगा। पंजीकरण के समय श्रमिक को अपने तीन फोटोग्राफ एवं आयु प्रमाण पत्र देना होगा।

लाभ की सारिणी निम्नवत है :—

ykHk	o’k dh U;ure l[;k] जिसकें लाभार्थी को हितलाभ हेतु पात्र होने के लिए निधि में अंशदान करना होगा।
1. मातृत्व हितलाभ	एक वर्ष
2. पेंशन	पॉच वर्ष और साथ में अधिवर्षता हेतु 15 वर्ष की सेवा
3. भवन के क्रय या निर्माण हेतु अग्रिम	शून्य
4. अशक्तता पेंशन	शून्य
5. अंतिम संस्कार सहायता	शून्य
6. मृत्यु हितलाभ, जिसके अंतर्गत नियोजन के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु भी है।	शून्य
7. प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार	एक वर्ष
8. लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता	एक वर्ष (दुर्घटना की दशा में जिसमें वर्ष की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।)
9. लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	पॉच वर्ष
10. लाभार्थियों के बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता	तीन वर्ष
11. पारिवारिक पेंशन	तीन वर्ष

इसके अतिरिक्त बोर्ड कर्मकारों के समान कल्याण को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रारम्भ कर सकता है :—

(क) कर्मकारों के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सर्वेक्षण तथा अध्ययन आदि कराना।

(ख) उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना। कल्याणकारी एवं विकास संबंधी योजनाओं के उपभोग करने के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना।

(ग) छोटा परिवार संबंधी नियमों को प्रोन्नत करना और सामाजिक बुराईयां यथा बाल विवाह, मद्यपान, दहेज आदि को दूर करने के लिए जागरूकता लाना।

(घ) मनोरंजन और अध्ययन संबंधी भ्रमण का आयोजन करना तथा खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां को बढ़ावा देना।

(ड़) लाभार्थियों के बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना।

(ज) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य ऐसे क्रिया कलाप करना जिनका उद्‌देश्य भवन कर्मकारों के समग्र कल्याण को प्रोन्नत करने से हो।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिकों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनायें प्रदेश में प्रभावी की गयी है :–

m0i0 Hkou ,o vU; lfUuek.k dedkj dY;k.k ckM }kjk ithdr fuek.k Jfedk d fy, lpkfyr ;ktukvk dk fooj.k

1- n?kVuk lgk;rk ;ktuk

¼ithdr fuek.k Jfedk d fy,½

1. दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में देय हितलाभ रूपया 100000/– मात्र।
2. दुर्घटना के कारण हुई स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 75000/– मात्र।
3. दुर्घटना के कारण हुई स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में रू0 40000/– मात्र।

2- ekrRo fgrYkkHk ;ktuk

¼ithdr efgyk fuek.k Jfed d fy,½

1. एक वर्ष तक पंजीकृत हुयी हो।
2. अधिकतम 02 बच्चों की सीमा तक रूपया 3000/– की धनराशि का एक मुश्त भुगतान प्रसव के उपरान्त किये जाने का प्राविधान है।

3- f k k fgrykHk ;ktuk

¼ithdr fuek.k Jfedk d fy,½

नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराये जाने हेतु पुत्र होने की स्थिति में रूपया 3000/– पुत्री होने की दशा में रूपया 4000/– वार्षिक दर से भुगतान कराये जाने की व्यवस्था है।

4- e/;kfed Nk= iqjLdkj ;ktuk

¼ithdr fuek.k Jfedk d e/;kfed cPpk d fy,½

कक्षा 5, 6, 7, 8, 10 एवं 12 की परीक्षा क्रमशः 70, 70, 70, 70, 60 एवं 60 प्रतिशत या उससे आधिक अंको (नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंकित प्रतिशत के सापेक्ष प्रभावी ग्रेडिग प्रणाली) के साथ उत्तीर्ण की हो तथा सबंधित पुत्र या पुत्री द्वारा आगे की शिक्षा जारी रखी गयी हो। इस योजना के अंतर्गत वह छात्र/छात्रा भी पात्र होंगे, जो आई0टी0आई में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो अथवा शासकीय इन्जीनियरिंग कालेजों में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो अथवा सरकारी मेडिकल कालेज में पढ़ाई कर रहे हो। इस योजना के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 8 तक के पात्र पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार की धनराशि अनिवार्य रूप से अगली उच्च कक्षा में शिक्षारत होने की स्थिति में ही अनुमन्य होगी। इस योजना के अंतर्गत आई0टी0आई0 एवं इन्जीनियरिंग के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों तथा चिकित्सा में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस, बी0ए0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 के पाठ्यक्रम सम्मिलित होगे। यदि संबंधित छात्र/छात्रा ने उ0प्र0 सरकार द्वारा इस उद्देश्य से चलायी गयी किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त किया हो, तो उसे यह हितलाभ देय नहीं होगा। आवेदनकर्ता को आवेदन के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5- dkexkj eR;q o vUR;sf’V lgk;rk ;kstuk %&

¼iathd`r fuekZ.k Jfedksa dsfy,½

1. यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।
2. मृत्यु की दशा में अंतिम संस्कार के रूप में होने वाले व्यय पर एक मुश्त रू0 8000/– मा
3. मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रूप में रू0 30000/–मात्र।

6- fuekZ.k dkexkj xEHkhj chekjh lgk;rk ;kstuk %&

¼iathd`r fuekZ.k Jfed@iRuh@vfookfgr iq= ,oa 21 o’kZ ls de vk;q dk iq=kh dks fy,½

1. प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश के नियंत्रणधीन किसी स्वायत्तशाषी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2. हृद्य की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज तथा एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी के अतिरिक्त अन्य बीमारियों के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा।

7- fuekZ.k Jfedksa esa dk;ZLFky fodykaxrk@dqN fcekfj;ksa esa ;kstuk

¼iathd`r fuekZ.k Jfed@iRuh@vfookfgr iq= ,oa 21 o’kZ ls de vk;q dk iq=kh dks fy,½

1. किसी शासकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय/निजी पॉलीटैक्निक से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, जो तकनीकी उन्नयन/प्रमाणीकरणों से संबंधित हो, में प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में सुलभ हो सकेगा।

2. निर्माण श्रमिक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो संबंधित कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुरूप होगी) की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

3. शैक्षिक संस्थाओं का शुल्क वही देय होगा, जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।

4. प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति देय होगा, जिसके लिए संस्थान से प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8- fuek.k dkexkj ,Ecqy l lgk;rk ;ktuk

¼i thd`r fuek.k Jfed@iRuh@vfookfgr i= ,o 21 o'k l de vk; d i=k d fy,½

1. स्थानीय स्तर पर निजी अथवा किसी अस्पताल से सम्बद्ध एम्बुलैंस को कार्यस्थल/निवास स्थल से चिकित्सालय तक ले जाने की स्थिति में 10 कि0मी0 की दूरी तक रू0 300/— मात्र तथा 10 कि0मी0 से अधिक दूरी की स्थिति में 10 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से अधिकतम रू0 600/— मात्र अथवा वास्तविक व्यय, दोनों में जो धनराशि कम हो, की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा इस अतिरिक्त प्रतिबन्ध के साथ की जायेगी कि एम्बुलैंस पर वास्तविक व्यय होने वाली धनराशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलैंस की दरों से अधिक नहीं होगी।

2. यह सुविधा केवल आवास अथवा कार्यस्थल से अस्पताल तक जाने की होगी, वापसी पर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

अधिनियम के अंतर्गत शब्दावलियों के अर्थ एवं परिभाषा: —

1- l{ke ljdkj &

अधिनियम 1996 की धारा 2 की उपधारा 1 (ए) में शब्द '' सक्षम सरकार परिभाषित है जिसके अनुसार ऐसे प्रतिष्ठान/अधिष्ठान, जिनके संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सक्षम सरकार केन्द्रीय सरकार है, उन्हें छोड़कर शेष अन्य अधिष्ठानों के संबंध में, जिनके प्रत्यक्ष रूप से अथवा ठेकेदार के माध्यम से भवन श्रमिकों को नियोजन किया गया है सक्षम सरकार राज्य

सरकार होगी। स्पष्टतया उन अधिष्ठानों को आच्छादित किया जाना है जिनके संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत राज्य सरकार सक्षम सरकार है।

2- fuek.k Jfed &

अधिनियम, 1996 की धारा 2(5) से ''निर्माण श्रमिक'' से अर्थ ऐसे श्रमिक से है, जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता है किन्तु प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत से नियोजित व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं है।

Hkou vkj vU; lfUuekZ.k deZdkj dY;k.k midj vf/kfu;e] 1996 ,oa Hkou vkj vU; lfUuekZ.k dY;k.k midj fuekoyh] 1998

उक्त अधिनियम निर्माण कार्यो में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, जिसमें पंजीयन के साथ साथ उ0 प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन तथा इस बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन प्रमुख है।

1¼d½ midj dk fu/kkZj.k

भारत सरकार द्वारा पारित उक्त अधिनियम जिसकी धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2899 दिनॉक 26.9.1996 द्वारा ऐसे सन्निर्माण कार्यो के नियोजकों से सन्निर्माण की लागत/व्यय हुई धनराशि के एक प्रतिशत की दर से उपकर ''सेस'' वसूल किया जाना विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

उक्त अधिनियम के साथ सपठित नियमावली के नियम 3 के अनुसार निर्माण लागत में जमीन की कीमत तथ कर्मकारों को दी गयी कोई क्षतिपूर्ति सम्मिलित नहीं है।

2- midj fu/kkZj.k vf/kdkjh ,oa midj laxzkgd

शासकीय अधिसूचना संख्या 752/36–2–10–46/2010 लखनऊ दिनॉक 15.9.2010 द्वारा सचिव, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, सचिव, मण्डी परिषद स्तर से अनिम्न अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 सेतु निगम स्तर से अनिम्न अधिकारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, राजकीय नलकूप निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, समाज कल्याण निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अनिम्न अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर/उप नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपकर निर्धारण अधिकारी तथा उपकर संग्राहक के रूप में नियुक्त किये गये है।

सपठित नियमावली के नियम 4 के अनुसार सेवायोजक प्रारूप 1 पर संबंधित वांछित सूचनाएं/रिटर्न उपकर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करायेंगे।

3- midj tek djus dh le; lhek

उपकर को कार्य समाप्ति के 30 दिन के अंदर जमा किया जाना है। यदि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 01 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला हो तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर उस वर्ष की लागत की धनराशि के आधार पर जमा किया जाना है। इसके साथ ही उपकर 'सेस' सेवायोजक/ठेकेदार/एजेन्सी के द्वारा अग्रिम जमा किया जा सकता है।

4- n.M

उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उपकर जमा करने में हुए विलम्ब पर प्रतिमाह 02 प्रतिशत ब्याज तथा दण्ड के रूप में अधिकतम उपकर के बराबर दण्ड लगाया जा सकता है।

5- midj tek djus ds mijkUr midj fu/kkZj.k vf/kdkjh dks nh tkus okyh lwpuk

सेवायोजक द्वारा कार्य समाप्ति के 30 दिन के अंदर नियम 7 के अनुसार

ik:i 1 ij lwpuk miyC/k fu/kkZj.k vf/kdkjh dks nsxkA

यदि किसी प्रकार का संशोधन कराना हो तो इसकी सूचना तत्काल उपकर निर्धारण अधिकारी को दिया जाना होगा, जो किसी भी दशा में 30 दिन से अधिक न हो।

6- vkdyu

उपकर निर्धारण अधिकारी फार्म 1 पर सूचना प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के भीतर उपकर का आकलन करा सकता है, जो कि अधिकतम 06 माह होगी।

7- vkdyu gsrq lg;ksx

निर्धारण अधिकारी के कर्तव्य, दायित्व के तहत उपरोक्त ''सेस'' एक्ट 1996 एवं तत्सबंधित नियमावली, 1998 के नियम 7 के अनुसार ''सेस'' के निर्धारण के लिए वैधानिक व्यवस्था निर्धारित है, जिसमें सेवायोजक द्वारा प्रारूप 1 पर प्राप्त सूचना के क्रम में नियोक्ता द्वारा लागत राशि एवं उससे संबंधित विवरणों पर स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारियों से आकलन कराया/परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

जिनके द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट्स को संज्ञान में लेते हुए नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणों का परीक्षण करते हुए अभिमत/परामर्श निर्धारण अधिकारी को सुलभ कराया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के परिप्रेक्ष्य में सर्किल रेट को भी संज्ञान में लेते हुए 'सेस' निर्धारण करने पर विचार किया जा सकता है और तद्नुसार प्रस्तुत अभिलेखों/तथ्यों का परीक्षण करते हुए 'सेस' की देय धनराशि का निर्धारण करने पर विचार किया जा सकता है।

इसी क्रम में ''उपकर'' के आकलन एवं निर्धारण हेतु वैकल्पिक तौर पर विकास प्राधिकरण, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के स्थानीय कार्यालय नगर निगम/नगर पालिका इत्यादि जैसी भी स्थिति हो का भी सहयोग लिया जा सकता है।

8- lsl dh olwyh

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बकाया सेस की धनराशि (दण्ड सहित यदि कोई हो) भू राजस्व की भॉति वसूल की जायेगी।

9- lsl dk gLrkUrj.k

वसूल किये गये उपकर को ''सेस'' नियमावली 1998 के नियम 5 के अनुसार उपकर कलैक्शन के 30 दिन के अंदर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है।

10- vihyh; vf/kdkjh

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अधीन किये गये निर्धारण आदेश तथा धारा 9 के अधीन आरोपित जुर्माना के विरूद्ध दायर अपील के अनुश्रवण तथा निस्ताण हेतु ''मण्डलायुक्त'' को उनकी अधिकारिता सीमा क्षेत्र के लिए ^^vihyh; vf/kdkjh^^ शासन द्वारा घोषित किया गया है।

11- f kdk;r nt djk;k tkuk

उक्त नियमावली के नियम 15 के अनुसार निर्धारण अधिकारी, या मुख्य अधिनियम के अंतर्गत कोई निरीक्षक, या ट्रेड यूनियन को उपकर से बचने के उद्देश्य से रिटर्न जमा करने रिटर्न में गलत सूचना देने की जानकारी होने पर कल्याण बोर्ड को शिकायत कर सकता है। बोर्ड इसे प्राप्त करने के उपरान्त जॉच कर सकता है, गलती पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की शिकायत भेज सकता है। जो उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगा।

12- ^lsl^ dh /kujkf k dk mi;ksx

सेस की धनराशि का उपयोग भवन व अन्य सन्निर्माण कार्य के श्रमिकों के हितलाभ के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।